फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री रमेशसिंह पुत्र श्री हरिसिंह रावत निवासी नया बाड़िया (आडावाला) बली जस्साखेड़ा, तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज.)। **– अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 61/2023**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 30.10.2023 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से जरिये क्रमांक प.40()सा.प्र./रा.लो.से.गां.अधि.2011/2023–24/187 दिनांक 27.10.2023 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपीलार्थी द्वारा दिनांक 04.07.2023 को ग्राम बली पटवार हल्का बली के खसरा नम्बर 5907/277 का नक्शा संवत् 2035 से 2050 तक दिलवाने निवेदन किया था। जिसके संबंध में कार्यालय के पत्रांक 1244 दिनांक 20.07.2023 द्वारा तहसीलदार भीम को शेष रही सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) भीम जिला राजसमन्द के पत्रांक 1228–1230 दिनांक 14.09.2023 एवं 1258–1261 दिनांक 19.09.2023 द्वारा लिखे गए प्रतिउत्तर में अवगत कराया कि सूचना तैयार कर उपलब्ध करवा दी गयी है। पटवारी बली की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बली के नक्शे की लट्ठा एवं मोमिया शीट उपलब्ध नहीं होने से उक्त खसरा नम्बर की वांछित नक्शा ट्रेस दिया जाना संभव नहीं है। बन्दोबस्त संवत् 2032 के दौरान ग्राम बली का नक्शा भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार किया गया था एवं वर्तमान में उक्त नक्शे को विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड के मुताबिक तरमीम कार्य करवाने के पश्चात् आदिनांक किया जाकर नक्शे को बटर शीट पर प्रिन्ट करवा बटर शीट का उपयोग किया जा रहा है। उक्त वर्तमान बटर शीट नक्शे से आराजी नम्बर 5907/277 एवं 7005/277 का नक्शा प्रार्थी को दिनांक 22.06.2023 को ही उपलब्ध करा दिया गया था। इसके अतिरिक्त संवत् 2035 से 2050 का अन्य कोई नक्शा मौजूद नहीं है। नक्शा उपलब्ध	

न्यायालय जिला कलक्टर

नहीं होने से नक्शा ट्रेस दिया जाना संभव नहीं है। अतः प्रकरण में आवेदक को वांछित सूचनाएं रिकार्ड में उपलब्धता अनुसार प्रदत्त की गयी है।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से प्राप्त रिपोर्टानुसार कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) भीम जिला राजसमन्द के पत्रांक 1228–1230 दिनांक 14.09.2023 एवं 1258–1261 दिनांक 19.09.2023 से अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी जाने से उक्त प्रकरण खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)